

FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

08-05-2024


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

राजेन्द्र कुमार पुत्र स्व० गोकुल बनाम गोकुल पुत्र तिलोका वगै०

विस्म मुकदमा:- विविध कैवियट प्रार्थना पत्र

मुकदमा नम्बर-12 / 2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नाम व कार्यवाही अहकाम जो हुकम की तारीख में जारी हुये
08.05.2024	<p>प्रार्थी वकील श्री दीपक बाजिया एड० के द्वारा विविध प्रार्थना पत्र कैवियट अन्तर्गत धारा 148 (1) सीपीसी पूर्व में दिनांक 05.12.2023 को न्यायालय में उपस्थित होकर पेश किया गया था। उक्त कैवियट प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 148 (1) सीपीसी में दर्ज खसरा नम्बरान् से सम्बन्धित कोई वादपत्र / प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा निर्धारित अवधि तीन माह में पेश नहीं हुआ है। उक्त कैवियट प्रार्थना पत्र को पेश हुए 90 दिवस से अधिक का समय हो चुका है। उक्त कैवियट प्रार्थना पत्र की निर्धारित अवधि समाप्त हो जाने से कैवियट प्रार्थना पत्र को आगे लम्बित रखने का अब कोई औचित्य नहीं है। अतः कैवियट प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर इसी स्तर पर फ़ैसल किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ़्तर हो।</p>	


(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर(नीमकाथाना)

